पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

***

भारत सरकार के मुख्यालय में समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश और केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के गठन के लिए मानक
(१३.९.२०१२ को यथा संशोधित)

१. संक्षिप्त नाम

इन दिशा-निर्देशों को "केन्द्रीय समाचार मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश, १९९९" कहा जाएगा।

२. प्रारंभ और कार्यक्षेत्र

२.१ ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के मुख्यालयों में समाचार मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए लागू होंगे और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती नियमों का स्थान लेंगे ।

३. संशोधन

केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति या प्रधान महानिदेशक आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को इन दिशा-निर्देशों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं।

४. परिभाषा -

४.१ **"केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति"** का अर्थ है इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित समिति।

४.२ **"समाचार पत्र"** की वही परिभाषा होगी जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६७ में दी गई है ।

४.३ **"समाचार मीडिया"** में समाचार पत्र, तार सेवा व बेतार सेवा, समाचार एजेन्सियां, समाचार विशेष लेख एजेन्सियां, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एजेन्सियाँ और वे संगठन जो आम जनता से संबंधित समाचारों पर समाचार और टिप्पणियां प्रसारित करते हैं, शामिल होंगे ।

४.४. **" दैनिक समाचार पत्र"** सप्ताह में कम-से-कम ५ दिन या जैसा पी.आर.बी. अधिनियम-में परिभाषित किया गया है, प्रकाशित होना चाहिए ।

४.५ **"साप्ताहिक और पाक्षिक "** समाचारपत्र के एक वर्ष में कम-से-कम क्रमशः ४५ या २२ अंक होंगे ।

४.६ **"प्रधान महानिदेशक "** का तात्पर्य है प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार, जिन्हें इसके बाद प्रधान महानिदेशक कहा जाएगा।

४.७ **"श्रमजीवी संवाददाता "** से तात्पर्य है कोई भी श्रमजीवी संवाददाता जैसा कि श्रमजीवी संवाददाता और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम १९५५ में परिभाषित है।

४.८ **" प्रत्यायन "** से तात्पर्य है सरकार के सूचना के स्रोतों और पत्र सूचना कार्यालय और/या भारत सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा जारी लिखित या चित्रात्मक समाचार सामग्री तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करना ।

४.९ **"इलैक्ट्रॉनिक समाचार मीडिया संगठन "** (दूरदर्शन या रेडियो) में कोई भी टी.वी./रेडियो समाचार कार्यक्रम निर्माण एकक और टी.वी./रेडियो समाचार एजेंसी शामिल हैं ।

५. केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समितिः

५.१ इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विहित कार्यों के निष्पादन के लिए भारत सरकार केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति नामक समिति (जिसे इसमें इसके बाद के.प्रे.प्र.स. कहा जाएगा) का गठन करेगी ।

५.२ के.प्रे.प्र.स. में प्रधान महानिदेशक अध्यक्ष होंगे और श्रमजीवी संवाददाताओं/ मीडियाकर्मियों के संघ/संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम २५ अन्य सदस्य होंगे जो इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायन हेतु अन्यथा पात्र हों ।

५.३ गठित हो जाने पर के.प्रे.प्र.स. अपनी पहली बैठक के बाद से २ साल तक की अवधि के लिए कार्य करेगी ।

५.४ के.प्रे.प्र.स. की बैठकें सामान्यतः तीन माह में एक बार या इससे अधिक बार, जैसा जरूरी समझा जाए, होंगी ।

५.५ के.प्रे.प्र.स. के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान के आधार पर लिए जाएंगे।

५.६ के.प्रे.प्र.स. की एक स्थाई उप-समिति होगी, जिसमें दिल्ली के पांच सदस्य होंगे। यह समिति प्रत्यायन के अत्यावश्यक मामलों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। ये मामले के.प्रे.प्र.स. की अगली बैठक में समिति के सामने रखे जाएंगे ।

५.७ प्रधान महानिदेशक को उन मामलों में नियमित प्रत्यायन प्रदान करने की शक्ति होगी जिनमें प्रत्यायित प्राप्त समाचार माध्यमों के प्रतिनिधि अपना संगठन बदलकर दूसरे प्रत्यायित संगठन में चले जाते हैं।

६. प्रत्यायन की सामान्य शर्ते

६.१ विभिन्न प्रकार के समाचार मीडिया संगठनों के विभिन्न वर्गों के समाचार माध्यम के प्रतिनिधियों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा इन दिशा-निर्देशों की अनुसूची-१ में दी गई पात्रता शर्तों और अनुसूची I व II में उल्लिखित कोटा सीमा के अंतर्गत ही प्रत्यायन दिया जाएगा ।

६.२ प्रत्यायन केवल उन्हीं प्रतिनिधियों को दिया जाएगा जो दिल्ली या इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं।

६.३ प्रत्यायन समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को कोई अधिकारिक या विशेष हैसियत प्रदान नहीं करेगा अपितु यह केवल एक व्यावसायिक श्रमजीवी संवाददाता के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देगा ।

६.४ केवल उन्हीं समाचार माध्यम संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन देने पर विचार किया जाएगा जो संगठन कम से कम लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हों ।

६.५ प्रकाशनों में प्रकाशित सामग्री का कम से कम ५० प्रतिशत समाचारों और/ या जन सामान्य की रूचि की टिप्पणियों के रूप में होना चाहिए । उसमें भारत सरकार के मुख्यालय से जारी समाचार और सूचना भी शामिल होनी चाहिए ।

६.६ वर्ग विशेष की रूचि की सूचना देने वाले प्रकाशन जैसे गृह पत्रिकाएं/तकनीकी/व्यावसायिक प्रकाशन आदि प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं।

६.७ केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने वाले केबल संचालकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाए जा रहे संगठन प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

६.८ जिन शर्तों के आधार पर प्रत्यायन दिया गया है, उनके समाप्त हो जाने पर प्रत्यायन वापस ले लिया जाएगा । यदि यह पाया जाता है कि प्रत्यायन का गलत प्रयोग किया गया है तो प्रत्यायन वापस लिया/स्थगित किया जा सकता है।

६.९ यदि यह पाया जाता है कि किसी आवेदक या मीडिया संगठन ने झूठी /कपटपूर्ण/जाली सूचना/कागज़ात दिए हैं तो उस प्रतिनिधि/मीडिया संगठन को के.प्रे.प्र.स. द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अधिकतम ५ वर्ा और कम से कम २ वर्ा के लिए प्रत्यायन से वंचित किया जा सकता है।

६.१० के.प्रे.प्र.स. को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्यायन के लिए सिफारिश करे या उसे अस्वीकार कर दे । प्रत्यायन के सभी मामलों में के.प्रे.प्र.स. का निर्णय अंतिम होगा ।

६.११ प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में, प्रत्यायन चाहने वाले सभी आवेदनों का मासिक ब्यौरा; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा उस माह के दौरान निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या इंगित होगी। इस विवरण के साथ क्रमशः उस माह के अंत में अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनपत्रों की सूची संलग्न होनी चाहिए।

६.१२ मंत्रालय के.प्रे.प्र. समिति द्वारा अस्वीकृत आवेदनों अथवा के.प्रे.प्र. समिति मंत्रालय में लंबित आवेदनों पर मामले-दर-मामले आधार पर विचार और समीक्षा कर सकती है तथा तर्कसंगत औचित्य के साथ तथा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अपवाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से विशिष्ट मामलों में निर्णय ले सकती है।

७. प्रत्यायन की प्रक्रिया

७.१ प्रत्यायन की प्रक्रिया प्रधान महानिदेशक द्वारा के.प्रे.प्र.स. के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ।

७.२ प्रधान महानिदेशक प्रत्यायन देते समय या इसके नवीकरण के समय या अन्य किसी भी समय प्रत्यायन के मामलों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जरूरी समझी जाने वाली कोई भी सूचना और कागज़ात मांग सकते हैं।

अनुसूची-१

पात्रता की शर्तें

(नियम ६.१)

(क) समाचार प्रतिनिधि

क्र.सं.	वर्ग	शर्तें
१.	स्वतंत्र संवाददाताओं को छोड़कर अन्य वर्गों के संवाददाता/ कैमरामैन	समाचार संगठन/संगठनों में पूर्णकालिक संवाददाता/ कैमरामैन के रूप में न्यूनतम ५ वर्ष का व्यवसायिक अनुभव । प्रत्यायन चाहने वाले श्रमजीवी प्रत्रकार को वेतन बोर्ड की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा संवाददाताओं के लिए अधिसूचित न्यूनतम ग्रेड की कुल परिलब्धियों के बराबर कुल वेतन १.१०.२००५ को (४५००/- रू. प्रतिमाह) मिल रहा हो। नवीनतम वेतनमान संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा। समाचार संगठन की तरफ से प्रत्यायन चाहने वाले संवाददाता को उस संगठन का पूर्णकालिक श्रमजीवी संवाददाता होना चाहिए और मानदेय/ पारिश्रामिक/ अंशकालिक आधार पर काम करने वाले संवाददातों को प्रत्यायन के उद्देश्य से श्रमजीवी संवाददाता नहीं माना जाएगा।
२.	कैमरामैन-सह-संवाददाता	कैमरामैन/ संवाददाता के रूप में पूर्णकालिक संवाददाता का कम से कम ५ वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। उनके नियुक्ति पत्र में उनका पदनाम कैमरामैन-सह-संवाददाता लिखा जाना चाहिए तथा सम्पादक/ संस्था के प्रधान द्वारा इस वर्ग में प्रत्यायन हेतु विशेष रूप से उनकी अनुशंसा की जानी चाहिए।
३.	स्वतंत्र संवाददाता/कैमरामैन	(क) पूर्ण कालिक श्रमजीवी संवाददाता के रूप में कम से कम १५ वर्षों का व्यावसायिक अनुभव (ख) संवाददाताओं तथा स्टिल फोटोग्राफरों के लिए केवल पत्रकारिता कार्यों से प्रति वित्तीय वर्ष में कम- से- कम ३६,०००/-रूपए की वार्षिक आय (ग) टी०वी० कैमरामैन/संवाददाता सह कैमरामैन के लिए समाचारों से संबंधित कार्यक्रमों से कम से कम ५ लाख रूपए प्रति वर्ष का राजस्व।
४.	दीर्घकालिक तथा विशिष्ट सेवा देने वाले पत्रकार	प्रधान महानिदेशक दीर्घकालिक तथा विशिष्ट सेवा देने वाले संवाददाताओं के वर्ग में किसी स्वतंत्र पत्रकार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यायन कार्ड जारी कर सकती हैं। (क) संवाददाता की आयु ६५ वर्ष हो चुकी है।

		(ख) वह प.सू.का. से प्रत्यायित प्रतिष्ठित समाचार संगठन/ संगठनों में कम से कम ३० वर्षों तक पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े रहे हों। (ग) उन्हें कम से कम २० वर्षों के लिए पत्र सूचना कार्यालय में प्रत्यायित होना चाहिए तथा उनके पास आवेदन की तिथि तक वैद्य प्रत्यायन होना चाहिए। (घ) के.प्रे.प्र.स. में प्रतिनिधित्व वाले संवाददाता संघ/ संगठनों द्वारा, उन्हें परिचय पत्र जारी किए जाने हेतु प्रधान महानिदेशक की अनुशंसा भेजी जानी चाहिए। (ड़) जारी किए जाने की तारीख से ५ वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यायन कार्ड स्वतः ही वार्षिक नवीकरण के लिए पात्र हो जाएगा।
५.	तकनीशियन	तकनीशियन को उस संगठन में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत होना चाहिए। संपादक/ उस संगठन के प्रधान द्वारा उनके लिए इस वर्ग में प्रत्यायन हेतु विशेष रूप से अनुशंसा की जानी चाहिए।

(ख) समाचार संगठन(प्रिंट मीडिया)

क्र.स.	वर्ग	शर्तें
१.	समाचार-पत्र (दैनिक)	प्रत्येक प्रकाशन दिनों में ६ फुल साइज अथवा टेबलॉइड आकार में १२ पृष्ठों की कम- से-कम १०,००० प्रतियों का प्रसार होना चाहिए।
२.	समाचार-पत्र(साप्ताहिक/पाक्षिक)	प्रत्येक प्रकाशन दिवस में कम से कम १०,००० प्रतियों का प्रसार होना चाहिए। सप्ताहिक समाचार-पत्र का आकार ६ फुल साइज पृष्ठ अथवा टेबलाइड आकार में १२ पृष्ठों की तथा पाक्षिक समाचार-पत्र का आकर ८ फुल साइज अथवा टेबलॉइड आकार की १६ पृष्ठों का होना चाहिए।
३.	पत्रिकाएं/मैगज़ीन(केवल पाक्षिक तक)	प्रत्येक प्रकाशन दिवस में न्यूनतम ४० पृष्ठों की कम से कम १०,००० प्रतियों का प्रसार होना चाहिए ।
४.	तार समाचार एजेंसी	(क) जिनका वार्षिक राजस्व २० लाख रूपए से कम नहीं है । (ख) कम-से-कम ३० अभिदाता ग्राहक होने चाहिए ।
५.	समाचार फोटो एजेंसी/समाचार फीचर एजेंसी	(क) वार्षिक राजस्व २.५० लाख रूपए से कम नहीं होना चाहिए । (ख) कम से कम २० अभिदाता ग्राहक होने चाहिए ।

(ग) समाचार संगठन (इलैक्ट्रॉनिक मीडिया)

क्र.स.	वर्ग	शर्तें
१.	**टी०वी० प्रोग्राम निर्माण/प्रसारण संगठन**	
	(१) टीवी/रेडियो समाचार निर्माण संगठन जिनके पास चैनलों/केन्द्रों के साथ प्रसारण समय, एयर टाइम की व्यवस्था हो।	उनके पास प्रतिदिन न्यूनतम ३० मिनट की अवधि का कम-से-कम एक न्यूज़ बुलेटिन प्रोग्राम होना चाहिए।
	(२) सैटेलाइट चैनल	उनके प्रसारण समय एयर टाइम का कम-से-कम १५ प्रतिशत समय (अर्थात २४ घंटे के चक्र में लगभग ३.५ घंटे) प्रतिदिन समाचार और उनसे संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए हो ।
	(३) टीवी चैनलों/स्टेशनों के साथ टेलिकास्ट/प्रसारण संबंध रखने वाले समाचार पत्रिका निर्माण संगठन	समाचारों और उनसे संबंधित विषयों पर प्रति सप्ताह ६० मिनट की अवधि का न्यूनतम कुल संचयी कार्यक्रम ।
२.	टेलीविज़न समाचार एजेंसियाँ	(क) समाचार क्लिप्स आदि से न्यूनतम २० लाख रूपए वार्षिक राजस्व । (ख) कम-से-कम ५ सैटेलाइट टी०वी०/न्यूज प्रसारण संगठन अभिदाताओं को नियमित आधार पर समाचार क्लिप्स की आपूर्ति करती हों ।
३.	रेडियो समाचार एजेंसियाँ	(क) समाचार क्लिप्स आदि से न्यूनतम १५ लाख रूपए वार्षिक राजस्व । (ख) कम-से-कम ५ रेडियो संगठन अभिदाताओं को नियमित आधार पर समाचार क्लिप्स की आपूर्ति करती हों ।
४.	ऑनलाइन मीडिया	१) प्रिंट तथा मीडिया दृश्य मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित सामान्य नियम व शर्तें ऑनलाइन संपादकों, संवाददातों, कैमरामैनों के लिए भी लागू होगी । २) समाचार साइट/पोर्टल का अर्थ है ऐसी वेबसाइट जिसमें देखने लायक विषयों का कम से कम एक-तिहाई भाग समाचारों तथा उनके अपने संवाददाताओं द्वारा मौलिक रूप से इकट्ठा की गई सामयिक सामग्री हो । ३) जिन प्रकाशनों के पक्ष में संवाददाताओं को पहले ही प्रत्यायन प्रदान किया जा चुका हैं वे

		प्रकाशन अपने वर्तमान कोटा के अधीन ही अपने ऑनलाइन संवाददाताओं को व्यवस्थित करेंगे । ४) साइट के पास प्रदत्त ग्राहक होने चाहिए। तथापि इसके लिए अभी ग्राहकों पर जोर नहीं दिया जाएगा लेकिन ग्राहकों वाले समाचार साइटों को कुछ वरीयता दी जाएगी । ५) ऑनलाइन समाचार एजेंसियां भी समाचार एजेंसियों के लिए निर्धारित वर्तमान नियमों से शासित होंगी । ६)इस साइट के पास इसके केवल समाचार भाग से या तो २० लाख रू०,अथवा संपूर्ण वेबसाइट से २.५ करोड़ रूपये, जिनमें समाचार-भाग भी शामिल है, का कम से कम वार्षिक राजस्व उपलब्ध हो। ७) इन साइटों को नियमित रूप से दिन में कम से कम ६ बार अद्यतन किया जाना चाहिए। ८) विषय,सेवा,प्रोन्नति,वित्त तथा कार्यकलाप के अन्य पहलुओं के संबंध में समाचार पोर्टल को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए । ९) समाचार साइट कम से कम एक वर्ष से कार्यशील हो । १०) साइट का डोमेन नाम आवेदन की तिथि से कम से कम ५ वर्षों के लिए पंजीकृत हो । ११) साइट के समाचार पोर्टल के प्रतिदिन कम से कम १०,००० पृष्ठ देखे जाते हों । १२) संदेह की स्थिति में साइट की प्रमाणिकता का निर्धारण विदेशी संचार निगम लि० के परामर्श से किया जाएगा । १३) यदि अब या भविष्य में कोई वेबसाइट/पोर्टल साइबर अपराध की किसी गतिविधि में शामिल पायी जाती है तो उस वेबसाइट/पोर्टल के प्रतिनिधियों को दिया गया प्रत्यायन प्रधान महानिदेशक (मी. व सं.) के स्वनिर्णय पर वापस ले लिया जाएगा ।

(घ) इस सूची के भाग (क), (ख) तथा (ग) में वर्णित वही पात्रताएं विदेशी समाचार माध्यम प्रतिनिधियों तथा संगठनों पर भी लागू होंगी । तथापि, कोई विदेशी स्वतंत्र संवाददाता प्रत्यायन के पात्र नहीं होंगे ।

अनुसूची-II

समाचार पत्रों/मीडिया संगठनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे की अनुसूची
(नियम ६.१)

प्रिंट मीडिया

१.	**श्रृंखलाओं तथा सामान्य स्वामित्व इकाईयों से संबंधित समाचार पत्र तथा उनका सकल प्रसार :**	**प्रत्यायन की अधिकतम संख्या**
१.	७५००० तथा एक लाख के बीच	१५
२.	१ लाख तथा २ लाख के बीच	१८
३.	२ लाख तथा ३ लाख के बीच	३३
४.	३ लाख तथा ५ लाख के बीच	४५
५.	५ लाख तथा १० लाख के बीच	६०
६.	१० लाख तथा उससे अधिक	६७
२.	**दैनिक तथा उनका प्रसार**	
१.	१०,००० तथा १५,००० के बीच	०१
२.	१५,००० तथा २५,००० के बीच	०३
३.	२५,००० तथा ३५,००० के बीच	०४
४.	३५,००० तथा ५०,००० के बीच	०६
५.	५०,००० तथा ७५,००० के बीच	०७
६.	७५,००० तथा एक लाख के बीच	१२
७.	१ लाख तथा उससे अधिक	१५
३.	**पत्रिकाएं तथा उनका प्रसार**	
१.	१०,००० तथा २५,००० के बीच	०३
२.	२५,००० तथा ७५,००० के बीच	०४
३.	७५,००० तथा १ लाख के बीच	०६
४.	१ लाख से १.५ लाख के बीच	०९
५.	१.५ लाख तथा २ लाख के बीच	१२
६.	२ लाख तथा उससे अधिक	१८
७.	सामान्य स्वामित्व वाली श्रृंखलाओं से संबंधित पत्रिकाएं/ बहु-भाषी संस्करण तथा जिनका संयुक्त प्रसार ५ लाख से अधिक है ।	२२
४.	**समाचार पत्रों के कार्टूनिस्ट तथा कार्टोग्राफर**	०१ (प्रत्येक)

५. कैमरामैन

१.	१०,००० तथा २५,००० के बीच प्रसार	०२
२.	२५,००० तथा १ लाख के बीच प्रसार	०४
३.	१ लाख तथा ५ लाख के बीच प्रसार	१२
४.	५ लाख से अधिक का प्रसार	२२

६. समाचार एजेंसियां (वायर सहित) तथा उनका सकल वार्षिक राजस्व

१.	२० लाख रूपए तथा १ करोड़ रूपए के बीच	१८
२.	१ करोड़ रूपए तथा ५ करोड़ रूपए के बीच	२७
३.	५ करोड़ रूपए तथा १० करोड़ रूपए के बीच	३७
४.	१० करोड़ रूपए तथा उससे अधिक (जो एक अथवा अधिक भाषाओं में सेवाएं प्रदान करते हैं)	६०

७. न्यूज़ फीचर एजेंसियां तथा उनका सकल वार्षिक राजस्व

१.	२.५० लाख रूपए तथा ५ लाख रूपए के बीच	०३
२.	५ लाख रूपए तथा उससे अधिक	०६

८. भारतीय न्यूज फोटो एजेंसियां तथा उनका सकल वार्षिक राजस्व

१.	२.५० लाख रूपए तथा ५ लाख रूपये के बीच	०३
२.	५ लाख रूपए तथा उससे अधिक	०७
३.	फोटो (वायर) एजेंसियां	१५

९. विदेशी दैनिक तथा पत्रिकाएं ०७

१०. विदेशी न्यूज़ एजेंसियां

१.	विदेशी न्यूज एजेंसियां	१५
२.	विदेशी फोटो न्यूज एजेंसियां	०७

अनुसूची-III

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे की अनुसूची

(दिशा-निर्देश ६.१)

१. टी.वी. न्यूज प्रोडक्शन/टेलीकास्ट/संगठन

➢ न्यूनतम ३० मिनट प्रतिदिन के समाचार बुलेटिन/सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों वाला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन	५ कैमरामैन तथा ५ संवाददाता
➢ ३० मिनट तथा २ घंटे प्रतिदिन तक के समाचार बुलेटिन/ सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों वाला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन	८ कैमरामैन तथा ८ संवाददाता
➢ प्रतिदिन २ घंटे से अधिक के समाचार बुलेटिन/सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों वाला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन	१५ कैमरामैन तथा १५ संवाददाता
➢ समाचार तथा समाचारों से संबंधित विषयों पर प्रति सप्ताह न्यूनतम सकल ६० मिनट का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला टी.वी. कार्यक्रम निर्माण/टेलिकास्ट संगठन	३ कैमरामैन तथा ३ संवाददाता

२. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार एजेंसियां

समाचार तथा समाचार संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित टी.वी./रेडियो न्यूज एजेंसियों के लिए प्रत्यायन कोटा हेतु पात्रता प्रमाणित राजस्व के अनुसार निम्नलिखित होगीः

क) रेडियो न्यूज एजेंसियां

➢ प्रतिवर्ष १५ लाख रू० से २५ लाख रूपए का राजस्व	३ कैमरामैन तथा ३ संवाददाता
➢ प्रतिवर्ष २५ लाख रू० से ७५ लाख रूपए का राजस्व	६ कैमरामैन तथा ६ संवाददाता
➢ प्रतिवर्ष ७५ लाख रू० से अधिक तथा २ करोड़ रूपए तक का राजस्व	९ कैमरामैन तथा ९ संवाददाता
➢ प्रतिवर्ष २ करोड़ रू० से अधिक तथा १० करोड़ रू० तक का राजस्व	१२ कैमरामैन तथा १२ संवाददाता

➢ प्रतिवर्ष १० करोड़ रूपए से अधिक का राजस्व	१५ कैमरामैन तथा १५ संवाददाता

क) टी.वी. न्यूज एजेंसियां

➢ प्रतिवर्ष २० लाख रू० से २.५ करोड़ रू० तक का राजस्व	३ कैमरामैन तथा ३ संवाददाता
➢ प्रतिवर्ष २.५ करोड़ रू० से अधिक का राजस्व	६ कैमरामैन तथा ६ संवाददाता
➢ प्रतिवर्ष ५ करोड़ रूपए से १० करोड़ रूपए तक का राजस्व	९ कैमरामैन तथा ९ संवाददाता
➢ प्रतिवर्ष १० करोड़ रूपए से अधिक का राजस्व	१२ कैमरामैन तथा १२ संवाददाता

३. <u>विदेशी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया</u>

➢ रेडियो ब्राडॅकास्टिंग संगठन	४ संवाददाता
➢ टी.वी. न्यूज टेलीकास्टिंग संगठन तथा न्यूज एजेंसियां	८ दल, जिसके प्रत्येक दल में एक कैमरामैन तथा एक संवाददाता होगा ।
➢ समाचार तथा सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों का हर घंटे प्रसारण करने वाले टी.वी. तथा रेडियो न्यूज चैनल	१२ दल, जिसके प्रत्येक दल में एक कैमरामैन तथा एक संवाददाता होगा।

४. ऑनलाइन मीडिया
(दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं)

५. 'तकनीशियन' वर्ग के लिए कोटाः

प्रति संगठन तकनीशियनों की संख्या इन दिशा-निर्देशों में दी गई उसी अनुसूची के अंतर्गत उस संगठन को आवंटित कैमरामेनों की संख्या के बराबर होगी ।

****